

तारीख हुक्म

20/09/19

पञ्जाबली पेशा व कुलाय करिडेन उपण। वास्ते
शाहादत पञ्जाबली डिग्रेड 15/10/2019 को पेश हो

15/10/19


कुलाय करिडेन उपण। वकील वादीगण माझ
हेतु अवर चाहते हैं। वास्ते साक्ष्य अवर
अनुमान किंग जाहद पञ्जाबली डिग्रेड 07/11/2019
को पेश हो।

21/11/19

कुलाय करिडेन उपण वकील वादीगण
मुख्य परिणाम हेतु सपथ पत्र PW-1 वास्ते
पेश किया जो आधिकारिक किंग मय। कथन
कुली गयी। वास्ते किंग किंग डिग्रेड 15/11/19
को पेश हो।

15/11/19

पञ्जाबली वास्ते कथन पेश हुआ कथन
वकील वादीगण कुली गयी। दौरान कथन
वकील वादीगण के कथन किंग कि
पक्षकारान के मध्य शाहीगामा होके
वाद पत्र पेश हुआ है। अतः मुलाहिके
शाहीगामा वाद पत्र अन्तिके डिग्रेड किंग
किये।



हमने कथन वकील वादीगण कुली
पञ्जाबली व पञ्जाबली पर उपलब्ध शाहीगामा
शाहीगामा किंग व सपथ पत्र PW-1 व PW-3
का अवलोकन किया गया। शाहीगामा व
सपथ पत्र PW-1 व PW-3 से वाद पत्र

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

वर्षित कथन साबित होते हैं। उक्त वादीगण
का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश
दिया जाता है कि:-

आदेश

वादीगण का वाद पत्र पक्षकारान
द्वारा प्रस्तुत राप्तीगण दिनांक 21/01/19
की शोशनी में डिक्री किया जाता है।
राप्तीगण के निर्णय व डिक्री का भाग समझा
जावे। तदानीं दार खण्डेला मुताबिक
राप्तीगण ही वादाव रिफर में अहकाम
परामर्श करे। इसी काले डिक्री परची
काफिल हो। पक्षवाली केवल शुमार
होकर गम्बर व क्त हो वाद तकलीफ
काश्किम दफतर हो।

(इनाम सिंह)
खण्डेला आदिलपुर
खण्डेला (सीकर)



डिकी मुकदमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला

बइजलारा श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

(1) रामनाथ (2) गोबुलचन्द पुत्र गण इचोनी जाति जाह निवासी
फतेहपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) (वादिगण)

बनाम

(1) पन्नालाल (2) विडडीचन्द पुत्र गण इचोनी राम (3) अक्कीदेवी
पुत्री इचोनी राम जाति जाह निवासी फतेहपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर
(4) शमिधारी तहसील खण्डेला जिला सीकर
दावा बाबत द.प्र.रा. स्याही नि.प्र.दा. एवं डुकुली रिकार्ड

मुकदमा नं० 11.9.....सन् 2019.....

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुवरु श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री रामेश्वर तैलवार एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई रुवरु श्री बरकतशहीनाम मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि

वादिगण का वाह पत्र पक्षकारण द्वारा प्रस्तुत राजीनाम रिपोर्ट द्वा/द्वारा की रोशनी में डिकी किया जाता है। राजीनाम के निषिद्ध व डिकी का माग समझा जाये तहसील खण्डेला मुताबिक राजीनाम ही राज्य रिकार्ड में अंगक ब्रामद करे !

निज.....x.....मुबलिंग.....x.....वावत.....x.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....x.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसव मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 11 सन 2019 को जारी की गई।



(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महानामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताबिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महानामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताबिक		
मीतान			मीतान		

रिपोर्ट के तहत पर कृपया खर्चा हर दो फरीकॉन का बाहे डिकरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।